GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
(A Constitutional Commission set up under Art. 338A of the Constitution to investigate and monitor all matters relating to violation of rights and safeguards provided for STs.)

File No. BLM/1/2012/STGRJ/ATPHHR/RU-I

6th Floor ,"B" Wing
Lok Nayak Bhawan
Khan Market,
New Delhi-03
Date 30/08/2012

To,

The Chief Secretary,
Govt. of Rajasthan,
Secretariat Jaipur,
Rajasthan

Sub: Representation dated 17/04/2012 received from Shri Brijj Lal Meena S/o Shri Gulab Chand Meena,Village Garhmora,Tehsil- Nadoti, District- Karauli ,Rajasthan regarding atrocity on scheduled Tribes Person.

Sir,

I am directed to refer to this Commission's letter of even No. dated 19/06/2012 addressed to Director General of Police, Govt. of Rajasthan on the above subject and to enclose here, with a copy of the proceedings of the hearing held in the Commission on 10/07/2012 in the matter for taking necessary action.

It is requested that action taken report with reference to the above proceedings may please be sent to this Commission **within 30 days** positively.

Yours faithfully,

(K.D Bhansor) Mrs.
Deputy Director

Copy for information and necessary action to:-

1. The Director General of Police ,Police Headquarters,Jaipur Rajasthan-303002
2. The Director,National Commission for Scheduled Tribes,Room No.101 & 102, 1st Floor, Block-A,Kendriya Sandan,Vidhayadhar Nagar,Jaipur-302023

Copy for information necessary:-

1. Shri Brijj Lal Meena S/o Shri Gulab Chand Meena,Village Garhmora,Tehsil- Nadoti, District Karauli ,Rajasthan
2. PS to Member BLM
3. PPS to Joint Secretary
4. S.S.A (NIC)
5. A.D(Coord)

(K.D Bhansor) Mrs.
Deputy Director

सं. BLM/1/2012/STGAJ/ATRHHR/RU-I

ग्राम-गढ़मोरा, तहसील-नादोती, जिला-करौली (राजस्थान) में गुर्जरों द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में श्री भैरू लाल मीणा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष पुलिस महानिदेशक, राजस्थान की दिनांक 10-07-2012 को हुई बैठक/सुनवाई का कार्यवृत्त।

उपस्थितः-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-

1.	श्री भैरू लाल मीणा	सदस्य
2.	श्रीमती के.डी.बन्सौर	उप निदेशक
3.	श्री एस.पी.मीणा	सहायक निदेशक
4.	श्री एन.के. कौशिक	परामर्शदाता

राजस्थान सरकार-

1.	श्री हरीश चंद्र मीणा	पुलिस महानिदेशक
2.	श्री अमनदीप सिंह कपूर	पुलिस अधीक्षक, करौली
3.	श्री पूनम चंद	उप अधीक्षक, करौली

प्रार्थी-

1. श्री बृज लाल मीणा

अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को गुर्जरों द्वारा मारपीट, गाली-गलौज एवं अभद्र व्यवहार करने के संबंध में श्री बृज लाल मीणा पुत्र श्री गुलाब चंद मीणा, ग्राम-गढ़मोरा, तहसील-नादोती, जिला-करौली (राजस्थान) का अभ्यावेदन।

पृष्ठभूमि

श्री बृज लाल मीणा ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 17-04-2012 के द्वारा आयोग को सूचित किया कि दिनांक 15-04-2012 ग्राम-गढ़मोरा के दबंग/गुण्डा गुर्जरों ने बस स्टैंड पर मीणा समुदाय के लोगों पर जाति सूचक शब्दों से अपमान करते हुए तथा मां बहन की गाली देते हुए लाठी, डंडे, हॉकी, लोहे का सरिया आदि से हमला बोल दिया जिससे श्री हरिकेश मीणा, रामकेश मीणा, महादेवा, ऋषिकेश, लक्ष्मी चन्द पर गंभीर चोटे आई जिनकी मेडिकल जाँच राजकीय चिकित्सालय, नादोती में की गयी। मामले की सूचना/रिपोर्ट प्रार्थियों द्वारा तुरन्त स्थानीय पुलिस थाना, गढ़मोरा में रिपोर्ट दर्ज करायी किन्तु उक्त गुण्डा तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभ्यावेदक द्वारा इस मामले में दोषी पाये गये लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तार करने के लिए आयोग को अनुरोध किया गया।

आयोग ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु दिनांक 19-04-2012 को पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला कलेक्टर, जिला-करौली को पत्र लिखा। प्रत्युत्तर में कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 23-05-2012 के साथ पुलिस अधीक्षक, करौली से प्राप्त

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Government of India
नई दिल्ली / New Delhi

उत्तर/रिपोर्ट दिनांक 07-05-2012 की प्रति आयोग को भेजी गयी। रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक, करौली ने बताया कि मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143, 323, 341, 379 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x)(xi) के तहत थाना गढ़मोरा में मुकदमा दर्ज कर प्रकरण पर **वृत्ताधिकारी, टोडाभीम** द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया। दौरा में तफ्तीस मेडिकल रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषीगणों (श्री तेजराम पुत्र श्री जेलाराम गुर्जर, श्री कमल पुत्र नगन गुर्जर, निवासी गढ़मोरा) के खिलाफ आईपीसी धारा 323, 341, 379 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(x) एक्ट के तहत जुर्म प्रमाणित माना गया। तत्पश्चात् मामले का अग्रिम अनुसंधान सत्यापन **वृत्ताधिकारी, कैलादेवी** द्वारा कराया गया। तफ्तीस दौरान मुजरूवान की एमएलआर व एक्सरे रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समस्त तफ्तीस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुल0 (श्री तेजराम पुत्र जेलाराम गुर्जर निवासी गढ़मोरा श्री कमल पुत्र रामकुवार गुर्जर निवासी गढ़मोरा श्री बचन पुत्र पुखराज गुर्जर निवासी रूपाडी, श्री हनुमान पुत्र नगर गुर्जर निवासी गढ़मोरा) के विरूद्ध जुर्म आईपीसी धारा 323, 341, 379 तथा 3(1) 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 प्रमाणित माना। तफ्तीस के दौरान मामले में आरोपी श्री हरिकेश गुर्जर निवासी बालाखेड़ा के विरूद्ध जुर्म उक्त एक्ट तहत प्रमाणित घटित नहीं पाया गया। स्वयं वृत्ताधिकारी कैलादेवी द्वारा पूर्व अनुसंधान वृत्ताधिकारी, टोडाभीम के अनुसंधान को सही माना गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राईट्स) राजस्थान से प्राप्त उत्तर/रिपोर्ट की छायाप्रति जानकारी हेतु अभ्यावेदक श्री बृजलाल मीणा को आयोग के पत्र दिनांक 06-06-2012 द्वारा भेजी गयी जिसके प्रत्युत्तर में श्री मीणा ने प्रत्युत्तर पत्र दिनांक 13-06-2012 आयोग को प्रस्तुत किया और अवगत कराया कि मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(ii), 3(1)(x) व 3(1)(xi) के तहत पुलिस द्वारा प्रतिवादियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है जिससे वे लोग खुले आम दादागिरी एवं गुण्डागर्दी करते हुए घुम रहे हैं और गांव के मीणा समुदाय लोगों को अपमानित करते हुए धमका रहे हैं। अभ्यावेदक ने आयोग को अनुरोध किया है कि दोषीगणों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाए और पीड़ितों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करायी जाए।

प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा जी ने पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ दिनांक 10-07-2012 को अपराह्न 12.30 बजे आयोग में बैठक/सुनवाई निश्चित की है।

प्रकरण में चर्चा-

मामले में श्री हरीश चंद्र मीणा, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार, पुलिस अधीक्षक, करौली एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण के साथ आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा के समक्ष उपस्थित हुए और मामले से संबंधित जांच बिन्दुओं से आयोग को अवगत कराया। चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक, करौली द्वारा मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट दिनांक 10-04-2012 आयोग को प्रस्तुत कर सूचित किया कि दिनांक 15-04-2012 की घटना में दौराने प्रारंभिक अनुसंधान उप पुलिस अधीक्षक वृत्त टोडाभीम तथा अग्रिम अनुसंधान वृत्ताधिकारी, कैलादेवी द्वारा संबंधित मुल0 के विरूद्ध आई.पी.सी. धारा 323, 341, 34 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 धारा 3(1)(x) के तहत

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

जुर्म/अपराध पाया गया। पुलिस अधीक्षक, करौली ने उक्त रिपोर्ट अनुसार अवगत कराया है कि मामले में अग्रिम अनुसंधान व सत्यापन हेतु पत्रावली कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, करौली को भेजी गयी जिसके अनुसार मामले में मुल0 के विरूद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 धारा 3(1)(x) के अन्तर्गत अपराध होना नहीं पाया गया।

आयोग के माननीय सदस्य ने पूर्व में की गयी दोनों अनुसंधान रिपोर्टों में प्रार्थियों पर अभियुक्तों द्वारा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने एवं मारपीट की घटना को मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर सही पाये जाने पर भी पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोग को प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं को हटाए जाने पर घोर आपत्ति एवं असंतुष्टि व्यक्त की क्योंकि पूर्व रिपोर्टों के अनुसार प्रतिवादियों पर अपराध होना सत्यापित किया गया था जिसे नयी रिपोर्ट में हटाया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता आयोग ने माना है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण में अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी दबाव के अन्तर्गत की गयी कार्रवाई प्रतीत हुई है।

निष्कर्ष एवं संस्तुतिः-

आयोग ने राजस्थान सरकार के पुलिस महानिदेशक एवं जिला पुलिस अधीक्षक, करौली एवं प्रार्थी से मामले की चर्चा के दौरान यह पाया कि पुलिस की पूर्व की दो जाँच रिपोर्टों में दिनांक 19-04-2012 की घटना में दोषियों के विरूद्ध वर्णित आई.पी.सी. की धाराओं एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (x) के तहत मेडिकल रिपोर्ट आदि के आधार पर अपराध साबित हुआ परन्तु तीसरी अनुसंधान रिपोर्ट में उसी अपराध का न होना पुलिस अधिकारियों द्वारा की गयी कार्रवाई की अविश्वसनीयता की ओर संकेत करता है। आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक को सलाह देते हुए कहा गया कि मामले में वे एक निष्पक्ष जाँच कराकर अपराधियों एवं तीसरी अनुसंधान रिपोर्ट में त्रुटि करने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (x) व धारा 4 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करें तथा प्रार्थियों को अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं तथा प्रकरण में की गयी कार्रवाई की वस्तुस्थिति से आयोग को यथाशीघ्र अवगत कराएं। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया गया कि ऐसी घटना दुबारा न हो इसके लिए उचित कार्रवाई भी की जाए। राज्य के पुलिस अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराओं एवं उनके अनुपालन का प्रशिक्षण दिया जाना अति आवश्यक है ताकि पुलिस अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों एवं नियमों के अन्तर्गत संरक्षण की जानकारी हो। अंतःपुलिस महानिदेशक ने मामले में समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन आयोग को दिया।

30/8/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi